

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 मार्च 2018—चैत्र 3, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ-ए-3-41-2017-1-पांच (36).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-41-2017-1-पांच (47), दिनांक 30 जून 2017 एवं एफ-ए-3-41-2017-1-पांच-(123), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, “31 मार्च 2018” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 जून, 2018” अंक और शब्द रखा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ-ए-3-41-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुमरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-41-2017-1-पांच (36), दिनांक 24 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 24th March 2018

No. F-A-3-41-2017-1-V-(36).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA-3-41-2017-1-V (47), dated 30th June 2017 and amended *vide* notification No. FA-3-41-2017-1-V-(123), dated 13th October 2017, namely:—

In the said notification for the figures, letters and words “31st day of March, 2018”, the figures, letters and words “30th day of June, 2018” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.